उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-1
संख्या-1/2018/548/53-1-2018-1(विविध)/2018
लखनऊः दिनांकः 07 जून, 2018

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा **'उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018'** को प्रख्यापित किया जाता है।

2- उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2018/548(1)/53-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
12- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
14- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
15- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल दि्वेदी)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018

दुग्ध विकास विभाग
उत्तर प्रदेश

अनुक्रमणिका

क्र. स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**पृष्ठभूमि**	1 - 2
2.	**दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति**	2
2.1	दृष्टिकोण (विजन)	2
2.2	उद्देश्य	3
2.3	रणनीति	3 - 4
3.	**दुग्ध उद्योग सेक्टर के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र**	4
4.	**प्राथमिकता के क्षेत्र**	5 - 7
4.1	अवस्थापना सुविधाओं का विकास	5
4.2	रोजगार सृजन	5
4.3	दुग्ध जोन का विकास	5
4.4	दुग्ध उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना	5 - 6
4.5	पूंजी निवेश प्रोत्साहन	6
4.6	तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन	7
4.7	प्रक्रियाओं का सरलीकरण	7
4.8	बाजार विकास	7
5.	**उ0प्र0 दुग्ध नीति के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं प्राविधान**	7 - 9
5.1	पूंजीगत निवेश अनुदान	8
5.2	ब्याज उपादान	8
5.3	बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान	8 - 9
5.4	दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स तैयार करने के लिए सहायता	9
5.5	मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान	9
5.6	पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान	9
5.7	अन्य सुविधाएं	9
6.	**मानव संसाधन विकास**	10
7.	**अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास**	10
8.	**ई-गवर्नेन्स**	10
9.	**दुग्ध नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण**	11
9.1	राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति	11
9.2	मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति	11
9.3	जनपद स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन समिति	11
9.4	नोडल एजेन्सी/नोडल विभाग	11
10.	**आवेदनों/परियोजनाओं का परीक्षण**	11 - 12
11.	**प्रकीर्ण**	12

1- पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राजनीतिक, आर्थिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से भारत देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है एवं देश के भौगोलिक क्षेत्र के 7.3 प्रतिशत क्षेत्र को आवरित करने वाला उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश में चौथा सबसे बडा राज्य है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ से ज्यादा है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है एवं देश की कुल आबादी का 16.5 प्रतिशत है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत 18 मण्डल, 75 जनपद एवं 821 सामुदायिक विकास खण्ड है।

(स्रोत-सांख्यिकीय डायरी उ0प्र0 2015)

भारत में सबसे अधिक गौ-महिषवंशीय पशु उत्तर प्रदेश में पाये जाते है। पशुधन गणना, 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में गाय तथा भैसों की संख्या क्रमशः 19.6 और 30.6 मिलियन है।

उत्तर प्रदेश राज्य को भारत की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह देश में गन्ना, साग सब्जी, दूध एवं दूध उत्पादों का प्रमुख उत्पादक राज्य है, साथ ही वर्ष 2015-16 में दूध उत्पादन के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 335 ग्राम प्रतिदिन के साथ कुल उत्पादन सर्वाधिक 26.38 मिलियन टन रहा, जबकि इसी वर्ष पूरे देश का कुल दूध उत्पादन 155.49 मिलियन टन रहा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 16.97 प्रतिशत है, अर्थात् उत्तर प्रदेश देश के दूध उत्पादन के लगभग पाँचवे हिस्से के बराबर दूध उत्पादित करता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, फिर भी संगठित क्षेत्रों द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण 12 प्रतिशत से भी कम हो पा रहा है, जबकि भारत का औसत दुग्ध प्रसंस्करण 17 प्रतिशत है एवं गुजरात का दुग्ध प्रसंस्करण देश में सर्वाधिक 49 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक किया जाना है। पिछले दशक में राज्य के दूध उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) लगभग 4 प्रतिशत रही है। इस बृद्धि दर में मुख्य योगदान दुधारू भैसों का है, क्योंकि कुल दूध उत्पादन में भैंस के दूध का योगदान लगभग 70 प्रतिशत से अधिक है।

(स्रोत-नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड (एन0डी0डी0बी0) की वेबसाइट के अनुसार)

वर्तमान में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में जनपद स्तर पर सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले उत्पादक को तथा प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले प्रथम एवं द्वितीय उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी प्रकार देशी गाय की नस्ल को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद एवं प्रदेश में देशी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले उत्पादक को नन्द बाबा पुरस्कार देने की व्यवस्था की जा रही है।

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य है। इसमें पूँजी निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी क्षमता है। उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन एवं दूध उत्पादों के विनिर्माण के बारे में जागरूकता का प्रसार करेगी। दूध एवं दूध उत्पादों की भंगुरता को कम करेगी, डेयरी क्षेत्र में बाजार केन्द्रित गतिविधियों को बढ़ावा देगी एवं इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के बारे में जागरूकता फैलायेगी।

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 का उद्देश्य प्रसंस्कृत दूध एवं दूध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, राज्य में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचा एवं दुग्ध क्षेत्र में निजी निवेश को बढावा देना है।

उत्तर प्रदेश सरकार, डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता से सम्बन्धित मुद्दों को हल करने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा एवं राज्य में उद्योगों को प्रासंगिक बाजार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक आईटी सक्षम डेटाबेस बनाएगा।

बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या में बढोत्तरी, छोटे होते परिवार, पारिवारिक आय में वृद्धि तथा दैनिक जीवन में व्यस्तता के कारण बदलती आहार प्रवृत्ति के फलस्वरूप प्रसंस्कृत उत्पादों की मॉग में निरन्तर वृद्धि दृष्टिगत हुई है।

उ0प्र0 में दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, इस क्षेत्र में पूंजी निवेश, रोजगार सृजन एवं समस्त स्टैक होल्डर्स की आय में वृद्धि की असीम सम्भावनाएं विद्यमान है।

उ0प्र0 में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 प्रख्यापित की जा रही है।

2- .दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति

दुग्ध नीति के द्वारा प्रदेश में ग्रामीण अंचल के किसानो को दुग्ध व्यवसाय में अभिरूचि पैदा कर स्वरोजगार में स्थापित करना, दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, दुग्ध उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना, नये रोजगार का सृजन करना तथा दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अवस्थापना सुविधाओ का विकास, पूंजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण तथा अनुदान, ऋण एवं रियायतें आदि कार्यक्रम सन्निहित है।

2.1- .दृष्टिकोण(विजन):-

उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में निरन्तर अग्रणी बनाये रखने के साथ-साथ दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास करना तथा समस्त स्टेक होल्डर्स को अधिकाधिक लाभ दिलाना।

2.2- उद्देश्यः-

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 में निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाना प्रस्तावित हैः-

- प्रदेश में दुग्ध उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ाना।
- ग्रामीण अंचल के दुग्ध उत्पादकों को उनकी आय का अनुकूलतम एवं लाभकारी मूल्य दिलाना।
- दुग्ध उत्पादक के दूध के क्षरण में कमी करना तथा उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना।
- प्रदेश में दुग्ध की दैनिक उपलब्धता 335 ग्राम प्रतिव्यक्ति से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रतिव्यक्ति किया जाना।
- प्रदेश में संगठित क्षेत्र के माध्यम से दुग्ध प्रसंस्करण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक किया जाना।
- संगठित क्षेत्र की भागीदारी वर्तमान में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करना।
- दुग्ध के मूल्य संर्वधन करते हुए पोषक एवं उच्च गुणवत्ता के साफ-सुथरे प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादों को उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराना।
- दुग्ध उपभोक्ताओं को उचित (affordable) मूल्य पर विविध प्रसंस्कृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुलभ कराना।
- दुग्ध क्षेत्र में प्रदेश व देश के बाहर निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- प्रदेश में कुपोषण नियंत्रण के उद्देश्य से आंगनबाड़ी तथा मिड-डे मील के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराये जाने को प्रोत्साहित करना।
- दुग्ध क्षेत्र के उद्यमियों एवं निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर सृजन करना।
- दुग्ध क्षेत्र में उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करना।
- नवीन दुग्ध उद्यमियों को विभाग द्वारा परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना।
- दुग्ध उद्योग क्षेत्र में अभिनव, शोध एवं विकास तथा तकनीकी उच्चीकरण को प्रोत्साहित करना।

2.3-रणनीतिः-

- अवस्थापना सुविधाओ का विकास।
- दुग्ध उद्योगो के स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।

- पूंजी निवेश प्रोत्साहित करना।
- तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करना।
- वित्तीय अनुदान एवं रियायतें की सुविधा उपलब्ध कराना।
- बाजार विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन।
- मानव संसाधन विकास।
- अन्य प्रोत्साहनात्मक सुविधायें।
- दूध के व्यापक उत्पादन क्षेत्र को देखते हुए आवश्यक प्रबन्धकीय एवं तकनीकी दक्षता को नवीन उद्यमियों को सुलभ कराने तथा परियोजनाओं के लिए सुविधा प्रदान करने एवं अनुश्रवण करने के लिए मुख्यालय स्तर पर "प्रोजेक्ट फैसीलिटेशन एण्ड मानीटिरिंग सेंटर" (पी0एफ0एम0सी0) का गठन किया जाना।

3- दुग्ध उद्योग सेक्टर के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र

- दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना।
- दुग्ध अवशीतन प्लांट/बीएमसी की स्थापना।
- दुग्ध उत्पाद जैसे-घी, पनीर, खोया, चीज, बटर, मिल्क पाउडर, दही, फ्लेवर मिल्क, शिशु दुग्ध आहार, कंडेस्ड मिल्क, माल्टेड मिल्क फूड आदि के निर्माण, प्रसंस्करण एवं पैकिंग हेतु प्लांट की स्थापना।
- मूल्य सवंर्धित दुग्ध पदार्थ के निर्माण हेतु प्लांट।
- प्रदेश में "मेक इन यू0पी0" के अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन/प्रसंस्करण/अवशीतन/विपणन से संम्बन्धित उपकरण, मशीनरी आदि बनाने हेतु प्लांट की स्थापना।
- दुग्ध जाँच से सम्बन्धित उपकरण, संयत्र निर्माण हेतु प्लांट की स्थापना तथा इससे सम्बन्धित शोध एवं विकास।
- हरा चारा बीज के उत्पादन के क्षेत्र में कार्य।
- प्रसंस्कृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, मूल्य सवंर्धित दुग्ध उत्पाद आदि का प्रबन्धन, पैकेजिंग एवं माकेटिंग आधारित इनफ्रास्ट्रक्चर का सृजन।
- दुग्ध उत्पाद बढाने हेतु 02, 04, 06, 08 एवं 10 पशुओं का क्रय।
- मिल्किंग मशीन एवं शीतलीकरण हेतु बीएमसी का क्रय।
- देशी दुग्ध उत्पादों यथा घी, पनीर, खोया, आईसक्रीम आदि हेतु डेरी संयत्रों/उपकरणों के क्रय।
- दुग्ध जाँच संयत्र एएमसीयू/डीपीएमसीयू के क्रय।
- पशुशाला निर्माण (10 दुधारू पशुओं अथवा अधिक पर)।
- दुधारू पशुओं के टीकाकरण, डिवर्मिंग एवं मेस्टाइटिस कन्ट्रोल दवाओं आदि के निर्माण हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास।

4- प्राथमिकता के क्षेत्र

4.1-अवस्थापना सुविधाओं का विकासः-

प्रदेश में दुग्ध उद्योगों के विकास के लिए गुणवत्ता परक अवस्थापना सुविधाओं का होना नितान्त आवश्यक है। इससे उद्योगों को कम लागत में बिना किसी अवरोध के स्थापित एवं संचालित किया जा सकता है। यह सुविधा दुग्ध व्यवसाय एवं दुग्ध उद्योग की वृद्धि में सहायक हांगी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी तथा प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के सृजन, सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के विकास में सहायक सिद्ध होंगी।

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्तावित प्राविधान- भूमि की उपलब्धता, सड़क, उर्जा, जलापूर्ति एवं जल निकास, दुग्ध जोन का विकास, संगठित विकास, बाजार विकास, वाणिज्यिक संसाधन तथा श्रमिको हेतु चिकित्सा सुविधा आदि अवस्थापना सुविधायें दुग्ध उद्योग के लिए उपलब्ध होंगी।

4.2-रोजगार सृजनः-

प्रदेश में दुग्ध क्षेत्र में पूँजी निवेश एवं इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित कराते हुए रोजगार सृजन के प्रयास किये जायेंगे। दुग्ध नीति के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख रोजगार सृजन होगा। रोजगार सृजन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। स्वरोजगार सृजन हेतु ग्रामीण अंचलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था कर इसको गृह उद्योग के रूप में भी विकसित किया जायेगा तथा इसको समूह/समितियों से जोडकर दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करायी जायेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आजीविका मिशन एवं दक्षता विकास कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों में उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जायेगा।

4.3- दुग्ध जोन का विकासः-

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दुग्ध उद्योगों की स्थापना के लिए दूध की उपलब्धता एवं अनुकूलता के आधार पर दुग्ध जोन का चिन्हांकन किया जायेगा, जिनमें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दुग्ध विकास से सम्बिंन्धत योजनाएं चलायी जायेंगी, जिनमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

4.4- दुग्ध उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध करानाः-

(अ) राज्य सरकार प्रदेश में दुग्ध उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सजगता से प्रयास करेगी, प्रदेश में दुग्ध उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन किया जायेगा। निवेशकों को दुग्ध उद्योगों की स्थापना के लिए

विभिन्न योजनाओं एवं इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य की जा रही अनुदान एवं रियायतें तत्परता एवं समयबद्धता से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। नये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निवेशको को निवेश सम्बन्धी सूचनायें तथा योजनायें उपलब्ध कराने तथा उनकी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु व्यापक प्रबन्ध किये जायेंगे।

(ब) उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में औद्योगीकीय वातावरण में सुधार के अन्तर्गत नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग, उर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित प्राविधान इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योगों के लिए सुलभ होंगे।

(स) दुग्ध नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यालय की स्थापना की जायेगी।

(द) ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत दुग्ध विकास विभाग के जनपद एवं मण्डल कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण को सुदृढ़ किया जायेगा, ताकि इण्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान सरलता से हो सके और उद्यमियों को समस्त जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जा सके। यह केन्द्र फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज को सुदृढ़ करने के लिए सेतु का कार्य करेंगे। इन सभी कार्यालयों में दुग्ध सेक्टर से सम्बन्धित विविध जानकारियॉ उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था होगी।

(य) प्रदेश में दुग्ध उत्पादको के लिए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनाये संचालित की जायेगीं, दुग्ध उपभोक्ताओं के लिए आवश्यकतानुसार दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु योजनायें संचालित की जायेगीं तथा दुग्ध उद्योगो को बढ़ावा देने हेतु उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जायेंगी।

(र) खाद्य से सम्बन्धित विभिन्न विधियों को समेकित करने, खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भण्डार, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिसूचित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 जो उ0प्र0 राज्य में भी प्रभावी है, की धारा-3(1)(J) में उल्लिखित खाद्य की परिभाषा में दूध एवं दुग्ध पदार्थ भी आच्छादित है। उक्त के दृष्टिगत दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, मिलावट रोकने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम एवं संगत विनियमावलियों में प्राविधानित प्रक्रिया एवं व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही उ0प्र0 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4.5-पूँजी निवेश प्रोत्साहनः-

प्रदेश में दुग्ध उत्पाद एवं मूल्य संवर्धन उत्पाद पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य एवं केन्द्र की विभिन्न योजनाओं तथा इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य रियायतें एवं अनुदान के माध्यम से पूँजी निवेश को आकर्षित किया जायेगा।

4.6- तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहनः-

प्रदेश में पूर्व से स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को तकनीकी आधुनिकीकरण/उन्नयन एवं उपलब्ध क्षमता को विस्तारित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा।

4.7-प्रक्रियाओं का सरलीकरणः-

निवेशकों की सुविधा के लिये दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा दूध से सम्बन्धित उद्योगों के लिये एकल विन्डो सिस्टम विकसित किया जायेगा तथा मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी निवेशकों को उद्योगों की स्थापना के लिये उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान कराने की व्यवस्था की जायेगी।

4.8-बाजार विकासः-

दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में बाजार विकास को आकर्षित करने एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेंगे। दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा प्रसंस्करणकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध उत्पादकों एवं दुग्ध उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। दुग्ध उद्योगों के लिए फारवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम दर्जे के उद्यमियों द्वारा निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को बाजार सुलभ कराने हेतु बाजार विस्तार कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

प्रदेश में दुग्ध उद्योगो के गुणवत्ता युक्त दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित उत्पादों के ब्राण्ड विकसित किये जाने पर बल दिया जायगा तथा क्षेत्र विशेष के चिन्हित दुग्ध उत्पादों को क्षेत्रीय ब्राण्ड के रूप में विकसित/प्रोत्साहित किया जायगा।

5- उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं प्राविधानः-

प्रदेश में दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की रियायतें, वित्तीय सुविधायें एवं अनुदान उपलब्ध कराये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश अनुदान, कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन तथा दुग्ध प्रसंस्करण अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर अनुदान, ब्याज उपादान, गुणवत्ता मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान, पेटेंट/डिजाईन पंजीकरण प्राविधान, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन तथा मानव विकास के प्राविधान किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित रियायतें एवं अनुदान का विवरण अलग से दिया गया है।

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों को निम्नांकित रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगीः-

5.1-पूँजीगत निवेश अनुदानः-

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/ उन्नयन पर प्लान्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत, जो अधिकतम रू० 50 लाख की सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। दुग्ध नीति के स्वीकृति के पश्चात् ई-पोर्टल के माध्यम से नीति के अनुरूप योजनायें तैयार करते समय पात्रता निर्धारण में प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त को ध्यान में रखा जायेगा।

उद्यमी के पास निजी स्रोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी, परन्तु उद्यमी को प्लान का अप्रेजल किसी विशेषज्ञ वित्तीय संस्था से कराना अनिवार्य होगा।

5.2-ब्याज उपादानः-

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्राविधान के अनुसार-

(क) सूक्ष्म एवं लघु दुग्ध प्रसंस्करण इकाई द्वारा स्थापित किये गये प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले व्यय हेतु बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर देय ब्याज की दर का शत् प्रतिशत अधिकतम 05 वर्ष तक पूर्ति की जायेगी।

(ख) अन्य दुग्ध प्रसंस्करण इकाई द्वारा स्थापित किये गये प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्टस पर होने वाले व्यय हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 7 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू० 50 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

परन्तुक, प्रस्तावित पूंजीगत उपादान एवं ब्याज उपादान रियायतें बैंकों व वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की दशा में अनुमन्य ब्याज उपादान सहित पांच वर्षों में अधिकतम धनराशि रू. 250 लाख की सीमा तक ही अनुमन्यता होगी।

5.3-बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधानः-

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्राविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को विपणन के लिए बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध करायीं जायेंगीः-

क- प्रदेश में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में उत्पाद का नमूना (सैम्पल) प्रेषित करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत जो अधिकतम रू० 02 लाख प्रति लाभार्थी अनुदान होगा। यह अनुदान एक इकाई को एक देश एवं एक नमूना तक सीमित होगा।

ख- राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत जो रू 10 लाख प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 03 वर्षों तक प्रति लाभार्थी अनुदान होगा।

ग- राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पाद की एफ0ओ0बी0 (Freight on Board) मूल्य का 20 प्रतिशत जो अधिकतम रू0 20 लाख प्रतिवर्ष की दर से 03 वर्षों तक अनुदान होगा।

5.4-दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स तैयार करने के लिए सहायताः-

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत दुग्ध उद्यमियों को दुग्ध प्रसंस्करण एवं उससे सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स हेतु कार्ययोजना (डी0पी0आर0) तैयार करने हेतु वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत जो अधिकतम रू0 05 लाख प्रति लाभार्थी अनुदान देय होगा।

5.5-मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधानः-

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्राविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण के उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन जैसे आई0एस0ओ014001, आई0एस0ओ22000, एच0ए0सी0सी0पी0 तथा सेनेट्री/फाइटोसेनेट्री सर्टिफिकेशन आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी फीस एण्ड टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.50 लाख अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.6-पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधानः-

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को भुगतान की गयी फीस का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी।

5.7-अन्य सुविधाएं:-

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बधित समय-समय पर प्राविधानित सुविधाओं के सुसंगत प्रस्तर लागू होंगे और यह सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

6- मानव संसाधन विकास

(1)- दुग्ध उद्योग सेक्टर के विकास के लिए कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता एक चुनौती के रूप में उभर रही है। दुग्ध उद्यमियों, प्रबन्धकों, तकनीकी विशेषज्ञों, दक्ष श्रमिकों तथा दुग्ध उत्पादकों को नवीनतम प्रसंस्करण तकनीकी में प्रशिक्षित कराने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे।

(2)- राज्य सरकार, राज्य में सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, व्यावसायिक संस्थानों में दुग्ध प्रसंस्करण तकनीकी, पैकेजिंग तथा विपणन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही पशुपालन क्षेत्र में स्थापित उन संस्थानों को भी प्रोत्साहित करेगी, जिसमें पशुओं की देख-भाल, पशुओं का प्रारम्भिक स्वास्थ परीक्षण, प्रबन्धन तथा पशुपोषण प्रबन्धन इत्यादि की शिक्षा एवं उसका प्रशिक्षण दिया जाता हो।

(3)- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास एवं तकनीकी हस्तानान्तरण के साथ-साथ दूध प्रसंस्करण हेतु सहकारी एवं गैर सहकारी क्षेत्र के कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं से सामन्जस्य स्थापित करते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

7- अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास

- दुग्ध उद्योगों की सहायता हेतु अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले स्रोत एवं विकास कार्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- प्रदेश की दुग्ध उद्योग सेक्टर में आच्छादित उत्पादों के प्रोटोकाल विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- प्रदेश में उत्पादित उत्पादों को क्षेत्रीय उपयुक्तता के आधार पर पेटेन्ट/डिजाइन के अधिकृत संगठनों/संस्थानों द्वारा पंजीकरण हेतु दूध उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- राज्य स्तरीय दूध एवं दूध उत्पाद के विकास हेतु अनुसंधान एवं गुणवत्ता केन्द्र की स्थापना किया जायेगा।

8- ई-गवर्नेन्स

उत्तर प्रदेश सरकार दुग्ध उद्योग से सम्बन्धित आधारभूत सूचनाओं की सुलभता हेतु ई-पोर्टल प्रारम्भ करेगी। ई-पोर्टल पर दुग्ध उद्योगों की स्थापना हेतु आधारभूत सूचनाओं के साथ-साथ विभिन्न दुग्ध योजनाओं से सम्बन्धित उपलब्ध अनुदान की सूचना, आवेदन की प्रक्रिया तथा आवेदन का प्रारूप आदि सूचनायें प्रदर्शित कराई जायेगी। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन एवं विपणन से सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्र करने, उनका तुलनात्मक परीक्षण एवं विश्लेषण करने और उनका आदान-प्रदान करने हेतु सूचना प्रोद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

9- दुग्ध नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

9.1-राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समितिः

दूध नीति के अन्तर्गत प्राविधानों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति गठित की जायेगी, जिसमें दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ, सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद एवं विभिन्न सम्बन्धित विभागों के सचिव/विशेष सचिव इसके सदस्य होगें। अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास/विशेष सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद इसके सदस्य सचिव होगें।

9.2-मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समितिः

मण्डल स्तर पर नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की जायेगी, जिसमें मण्डल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ-साथ मण्डल के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सदस्य होगें। मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव होगें।

9.3-जनपद स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन समितिः

इस नीति के अन्तर्गत पूँजी निवेश के प्रस्तावों का कार्यान्वयन उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति गठित की जायेगी. जिसमें जनपद के सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण सदस्य होगें। उप दुग्धशाला विकास अधिकारी इस समिति के सदस्य-सचिव होगें।

9.4-नोडल विभाग/नोडल ऐजेन्सीः

दुग्धशाला विकास विभाग उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल विभाग होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल ऐजेन्सी होगी।

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत अनुमन्य रियायतों/सुविधाओं हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल एजेन्सी/नोडल विभाग है।

10- आवेदनों/परियोजनाओं का परीक्षण

(1)- आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों का परीक्षण/संवीक्षण/मूल्यांकन की कार्यवाही राज्य स्तर पर नोडल विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार करायी जायेगी।

(2)- जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों को संकलन कर आवेदन/परियोजना प्रस्तावों को उप दुग्धशाला विकास अधिकारी द्वारा मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर प्रेषित किया जायेगा तथा इन आवेदन/परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु शासन के अनुमोदन से दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा तकनीकी समिति एवं वित्तीय समिति गठित की जायेगी। इन समितियों द्वारा संस्तुति आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत एवं धनावंटन राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा की जायेगी। स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन समिति एवं मण्डल स्तर पर मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा किया जायेगा।

11- प्रकीर्ण

(1)- इस नीति के किसी प्राविधान की व्याख्या अथवा उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति सक्षम होगी।

(2) दुग्ध विकास विभाग द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं नियमावली निर्गत करते हुए समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

(**डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे**)
प्रमुख सचिव,
दुग्ध विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।